



मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, "गौरा देवी पर्यावरण भवन"

46वीं, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून

Web : www.ueppcb.uk.gov.in E-mail : msukpcb@yahoo.com

Ph. No. 2976157, 2976158, 2607092

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

श्री भूपेन्द्र जोशी पुत्र श्री हरीश चंद्र जोशी, निवासी - ग्राम बागनाथ वार्ड, तहसील एवं जिला बागेश्वर द्वारा ग्राम सिमटोली (सोघर), तहसील एवं जिला बागेश्वर में सोपस्टोन माईनिंग (क्षेत्रफल-11.251 हे०, उत्पादन-22,755 टन प्रतिवर्ष क्षमता) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिये राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा Terms of Reference निर्धारित किये गये हैं, जिनके अन्तर्गत प्रस्तावक के द्वारा झापट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ईआईए अधिसूचना 14.09.2006 यथासंशोधित के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के संज्ञानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु "मैमल" की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत् है :-

1. जिलाधिकारी, जनपद, बागेश्वर या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी स्तर से कम पद का न हो, लोक सुनवाई के अध्यक्ष।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा सूमस्त अभिलेख क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 25-सुभाष रोड, देहरादून, मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 46 वीं, आई0टी0 पार्क सहस्त्रधारा रोड, देहरादून; क्षेत्रीय कार्यालय; उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी जनपद नैनीताल; कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर; कार्यालय जिला पंचायत, बागेश्वर; जिला उद्योग केन्द्र, बागेश्वर एवं नगर पालिका परिषद, बागेश्वर में उपलब्ध हैं जिनका कोई भी इच्छुक संस्था/व्यक्ति अवलोकन कर सकता है। झापट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं सारांश की प्रती www.ueppcb.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है।

श्री भूपेन्द्र जोशी पुत्र श्री हरीश चंद्र जोशी, निवासी - ग्राम बागनाथ वार्ड, तहसील एवं जिला बागेश्वर द्वारा ग्राम सिमटोली (सोघर), तहसील एवं जिला बागेश्वर में सोपस्टोन माईनिंग (क्षेत्रफल-11.251 हे०, उत्पादन-22,755 टन प्रतिवर्ष क्षमता) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई दिनांक 31.05.2022 को प्रातः 11:00 बजे से परियोजना स्थल में तत्समय कोविड-19 के संदर्भ में विद्यमान SOP के अधीन सोशल डिस्टेंसिंग, आवश्यक रूप से मास्क का प्रयोग, थर्मल स्क्रीनिंग एवं हैंडवाश व सोनेटाइजर तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों के साथ निर्धारित की जाती है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने मौखिक, लिखित, सुझाव, टीका टिप्पणियों एवं आपत्तियाँ इस कार्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी हल्द्वानी में इस सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रेषित कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

पत्रांक - यूईपीसीवी / एसओ / एनओसी-7647 / 22 / 195 दिनांक 23.04.2022

सदस्य, सचिव

Amar Jais, DDU